FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर मुकाम

महेन्द्र कुमार बनाम अनराज [illegible]

किस्म मुकदमा राय [illegible] नं 213/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/6/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
13/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/06/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनकी डिलीवर्ड रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत की गई, जिन्हें पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
10/08/2022	प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-152 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की दिनांक-27/06/2022 को आवेदन में आदेश करते समय प्रार्थी के खसरा नम्बर-1573/1458 के स्थान पर ख०न०-1545/793 अंकित कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है इसलिए ख०न०-1573/1458 के स्थान पर 1545/793 अंकित करते हुए संशोधित आदेश किया जावें। अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन में संशोधित आदेश किया जाकर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड ... जिला-बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1272 दिनांक : 10/08/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. महेन्द्र कुमार पुत्र केवलचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी लुणाडा, पटवार मण्डल लुणाडा, तहसील बायतु (बाडमेर)

1. अनाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 04, जातियान् जाट, निवासीयान् लापला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 213 / 2022

संशोधित आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – लुणाड़ा, पटवार मण्डल – लुणाडा, तहसील – बायतु, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 1573 / 1458 रकबा 1.7232 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुंल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 10/08/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1273-77

प्रतिलिपि –निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र केवलचन्द,
4. विप्रार्थी श्री अनाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर